

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पारचन्द

बनाम

रतनलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 14/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती पारचन्द

पिता श्री लाल जी गाडरी

निवासी- मारा अउसाँरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सेती स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2235/1780

2236/1778, 2237/1773, 2238/1801

कुल कीता 4 कुल रकबा 1.0800 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेती स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2235/1780, 2236/1778, 2237/1773, 2238/1801

कुल कीता 4 रकबा 1.0800 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रूपये अक्षरे एक हजार रुपय मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(राम मन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 14 / 2024/04

दिनांक 20/01/22

तहसीलदार  
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : प्यारचन्द पिता लालू जी गाडरी प्लॉट अठ्ठाईसवा

- बनाम — जर्बी
- ① शतलाल पिता प्यारचन्द गाडरी प्लॉट सेमलिप्रा
  - ② भैल्लाल पिता उदयलाल धाकड़ प्लॉट सेती
  - ③ रामलाल पिता युनूस जी अहीर प्लॉट सेमलिप्रा
  - ④ सुरेश पिता प्यारचन्द वर्मा ⑤ दिनेश पिता प्यारचन्द वर्मा  
प्लॉट गांधीनगर गवर्नर्स कॉलेज के सामने चित्तौड़गढ़
  - ⑥ राजू पिता प्यारचन्द वर्मा प्लॉट सेजवा हाउसिंग बोर्ड  
पार्क की टर्की के पास चित्तौड़गढ़
- न गांधी ओरिजिनल जरिद सचिव गांधी नौकरी  
— चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम सेती खतौनी सं. 279  
सम्बत् 2072 - 2075 में अकित आराजी नम्बर 2235/1780, 2236/1778, 2237/1773  
2238/1801 कुल कित 4 रकबा 1.0800 है। भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रुपये 1000000 अक्षरे एक हजार रुपये मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)